(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

सं. 13/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. (अ)- जबकि "फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पोलयोल" (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष 3907 20 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और जो थाईलैंड (एतद्पश्चात विषयागत देश के रूप में उल्लिखित) में मूलत: उत्पादित अथवा वहां से भारत में आयातित है के मामले में पदनामित प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 4/34/2015-डीजीएडी, दिनांक 21 फरवरी, 2017 के जरिए अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि-

(क) थाईलैंड से भारत को विचाराधीन उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है । इससे उत्पाद का पाटन हुआ है,

(ख) संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(ग) थाइलैंड से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है;

तथा पदनामित प्राधिकारी ने विषयगत देश से मूलत: उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तु तथा भारत में आयातित माल पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके ।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (I) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में

विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है ।

सारणी

क्र. स.	उपशीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	390720	3000-4000 के अणु भार के फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पोलयोल	थाईलैंड	थाईलैंड	आईआर पीसी पोलियोल कंपनी लि.	आईआर पीसी पोलियोल कंपनी लि.	शून्य	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	390720	3000-4000 के अणु भार के फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पोलयोल	थाईलैंड	थाईलैंड	आईआर पीसी पोलियोल कंपनी लि.	आईआर पीसी पीसीसी कंपनी लि.	शून्य	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	390720	3000-4000 के अणु भार के फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पोलयोल	थाईलैंड	थाईलैंड	क्र. सं. 1 और 2 के अलावा कोई अन्य संयोजन	क्र. सं. 1 और 2 के अलावा कोई अन्य संयोजन	135.40	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
4	390720	3000-4000 के अणु भार के फ्लैक्सीबल	थाईलैंड	अन्य देश जो एंटी डपिंग ड्यूटी को	कोई	कोई	135.40	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

		स्लैब स्टॉक पोलयोल		आकर्षित नहीं करता					
5	390720	3000-4000 के अणु भार के फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पोलयोल	अन्य देश जो एंटी डपिंग डयूटी को आकर्षित नहीं करता	थाईलैंड	कोई	कोई	135.40	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच साल तक की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के लिए लागू विनिमय दर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में विनिर्दिष्ट है और विनियम दर के निर्धारण के सुसंगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल में दी गई है ।

(फा.सं.354/41/2017-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार